भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 641

उत्तर देने की तारीखः 06.02.2017

अनुत्तीर्ण न करने की नीति

641. श्री हरीश मीनाः
डॉ. के. गोपालः
श्री डी. के. सुरेशः
श्री नलीन कुमार कटीलः
डॉ. उदित राजः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों में गिरावट के कारण विवादास्पद मुद्दा बन गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस नीति के प्रतिकूल परिणामों और राज्य सरकारों की सिफारिशों के कारण इसे समाप्त करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि वासुदेव देवनानी समिति ने यह सिफारिश की है कि प्रत्येक विद्यार्थी को पांचवीं कक्षा से आगे से अनुत्तीर्ण किए जाने से पूर्व एक अवसर मिलना चाहिए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में शिक्षा का अधिकार में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री उपेंद्र कुशवाहा)

(क) से (ड.): निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 16 में यह प्रावधान है कि स्कूल में दाखिल बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा अथवा स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। अतः इस नीति में कक्षा 1 से 8 तक कवर करते हुए स्कूल के प्रारंभिक चरण शामिल हैं।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की दिनांक 6 जून, 2012 को आयोजित 59वीं बैठक में अपनाए गए संकल्प के अनुसरण में आरटीई अधिनियम, 2009 में अनुत्तीर्ण न करने के संदर्भ में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) के कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु एक उप समिति का गठन किया गया था। उप समिति ने अगस्त, 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उप समिति की रिपोर्ट

19.08.2015 को आयोजित बैठक में केब के समक्ष रखी गई जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुत्तीर्ण न करने की नीति के संबंध में उनके विचार साझा करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। 28 राज्यों ने अनुत्तीर्ण न करने की नीति के संबंध में अपने विचार साझा किए हैं जिसमें से 23 राज्यों ने अनुत्तीर्ण न करने की नीति में संशोधन का सुझाव दिया है। अनुत्तीर्ण न करने की नीति पर राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिक्रिया का सार अनुबंध में दिया गया है।

दिनांक 19.08.2016 को आयोजित केब समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में अन्य बातों के साथ-साथ अनुत्तीर्ण न करने की नीति के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा करने के लिए दिनांक 26.10.2015 को प्रो. वासुदेव देवनानी, शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक और उप समिति का गठन किया गया। समिति की सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

(i) कक्षा 5 में परीक्षा होनी चाहिए। स्कूल, ब्लाक, जिला अथवा राज्य स्तर पर परीक्षा संचालित करने का निर्णय लेना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर छोड़ देना चाहिए।

(ii) यदि कोई बच्चा अनुत्तीर्ण हो जाता है तो बच्चे को सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए। बच्चों को अतिरिक्त अनुदेश दिए जाने चाहिए और बच्चे को दूसरी परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि बच्चा दूसरे अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसे कक्षा में रोका जाना चाहिए।

(iii) कक्षा 6 और 7 में छात्रों के लिए स्कूल आधारित परीक्षा होनी चाहिए।

(iv) कक्षा 8 में बाह्य परीक्षा होनी चाहिए। यदि बच्चा अनुत्तीर्ण होता है, तो बच्चे को अतिरिक्त अनुदेश दिया जाना चाहिए और तब वह सुधार परीक्षा में भाग ले सकता है। यदि वह दोबारा अनुत्तीर्ण होता है तो उसे कक्षा में रोका जाए।

आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 16 में संशोधन से संबंधित मामले पर इस मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

*****

अनुबंध

अनुत्तीर्ण न करने की नीति के संबंध में श्री हरीश मीना, डॉ. के. गोपाल, श्री डी. के. सुरेश, श्री नलीन कुमार कटील और डॉ. उदित राज द्वारा दिनांक 06.02.2017 को लोक सभा में पूछे जाने वाले आतारांकित प्रश्न सं. 641 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रतिक्रिया निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की टिप्पणियों का सार
1	बिहार	अनुत्तीर्ण न करने की नीति को वापस लिया जाए और सतत तथा व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) नीति का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। समय-समय पर छात्रों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
2	हिमाचल प्रदेश	1. कक्षा 3 तक आंतरिक परीक्षा और कक्षा 5 तथा 8 के स्तर पर तीसरे पक्ष द्वारा परीक्षा आरंभ करना। 2. कक्षा 3, 5 और 8 में स्तरानुसार उपयुक्त सक्षमता प्राप्त न करने वाले छात्रों को उसी कक्षा में रोकना।
3	मध्य प्रदेश	अनुत्तीर्ण न करने की नीति के कारण छात्रों के अकादमिक निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है इसलिए कक्षा 5 और 8 में बोर्ड परीक्षा कराई जाए।
4	मिजोरम	सभी अध्यापकों को सतत और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) के प्रभावी कार्यान्वयन में सक्षम बनाने के लिए इसके विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित करना। जब तक सीसीई प्रणाली स्थिर नहीं हो जाती तब तक अनुत्तीर्ण न करने की नीति को 5-7 वर्ष के लिए स्थगित रखा जाए।
5	ओडिशा	'अनुत्तीर्ण न करने' के प्रावधान पर दोबारा ध्यान दिया जाए और राज्यों को कक्षा के उपयुक्त मूल्यांकन सहित प्रत्येक कक्षा के अंत में अपनी स्वयं की मूल्यांकन प्रणाली अपनाने की अनुमति दी जाए।
6	पंजाब	कक्षा 1-8 में परीक्षा प्रणाली दोबारा आरंभ करने और कक्षा 5 तथा 8 में बोर्ड परीक्षा आरंभ करने के लिए 'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' के प्रावधानों में संशोधन किया जाए। ऐसा एक संकल्प पंजाब विधान सभा में पारित किया जा चुका है।
7	राजस्थान	शिक्षा के प्रति छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों के प्रतिबद्धता स्तर में गिरावट के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इसलिए 'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' और 'आयु उपयुक्त दाखिला नीति' को वापस ले लिया जाना चाहिए। परीक्षा/जांच और अनुत्तीर्णता से छात्रों को निष्पादन का अच्छा मंच मिलता है और छात्रों के ज्ञान में कमी को भी ठीक किया जा सकता है।
8	सिक्किम	'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' को चरणबद्ध रूप में समाप्त किया जाए और कक्षा 5 व 8 में कार्य का मूल्यांकन किया जाए क्योंकि परिवार द्वारा नियमित उपस्थिति पर बल नहीं दिया जा रहा है। अत: 'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' से छात्रों और शिक्षकों के उत्साह में और गिरावट आई है।
9	त्रिपुरा	'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' की समीक्षा किया जाना आवश्यक है क्योंकि इससे छात्र अध्ययन अधिगम प्रक्रिया की ओर से लापरवाह हो गए हैं और स्कूलों में छात्रों तथा शिक्षकों की नियमित उपस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
10	उत्तर प्रदेश	'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा की भावना में कमी आई है और छात्रों के अधिगम परिणाम गिरे हैं।
11	उत्तराखंड	'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' को वापस ले लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में और उनकी प्रतिस्पर्धा की भावना में सुधार के लिए

		छमाही और वार्षिक परीक्षाएं होनी चाहिए। इससे शिक्षकों के उत्तरदायित्व में भी वृद्धि होगी।
12	पुद्दुचेरी	'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' की समीक्षा की आवश्यकता है क्योंकि इससे प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है और इससे छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों के रवैये और मानसिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अत: 'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' को कक्षा-5 तक सीमित किया जाना चाहिए।
13	कर्नाटक	'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' को इसके वर्तमान रूप में जारी रखना चाहिए ताकि बच्चों की शिक्षा में रूचि बनी रहे और बच्चों को कम से कम 8 वर्ष की स्कूल शिक्षा मिले। सतत और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) में सुधार किया जाना चाहिए और इसकी मॉनीटरिंग की जानी चाहिए। कुछ कक्षाओं के लिए वर्ष के अंत में मूल्यांकन किया जाना चाहिए और कम स्कोर वाले छात्रों को विशेष शिक्षण के माध्यम से सुधार में मदद करनी चाहिए।
14	दिल्ली	'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' में संशोधन करना आवश्यक है। इसके कारण पढ़ाई जा रही कक्षा में अपेक्षित स्तर प्राप्त न करने और पढ़ाए गए विषय को न समझने पर भी छात्रों को अगली कक्षा में भेजा जा रहा है। इससे छात्रों का व्यवहार असंगत और अनुशासनहीन होता जा रहा है अथवा वे पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं। 'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' को जूनियर प्राइमरी कक्षा अर्थात कक्षा 3 तक सीमित किया जाना चाहिए।
15	केरल	'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' को वापस ले लिया जाना चाहिए क्योंकि छात्र को आधे अधूरे ज्ञान के साथ अगले ग्रेड में भेजने से अच्छा है उसे एक और साल के लिए उसी कक्षा में रहने दिया जाए। शिक्षक भी स्वयं का मूल्यांकन कर अपने को सही कर पाएंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। छात्र के अधिगम स्तर के यथार्थ परक मूल्यांकन के लिए आवधिक और वार्षिक परीक्षा आवश्यक होगी।
16	आंध्र प्रदेश	'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' को जारी रखा जाना चाहिए नहीं तो पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर बढ़ जाएगी और प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल होगा। छात्रों को उसी कक्षा में बनाए रखने से वे हतोत्साहित होंगे और इससे वे केवल रट कर पढ़ना सीखेंगे और छात्रों में परीक्षा का डर बैठ जाएगा तथा कदाचार को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छात्रों का सृजनात्मक चिंतन, विश्लेषणात्मक क्षमता, अन्वेषण और प्रयोगात्मक कौशल बाधित होगा। कक्षा III, V और VIII के छात्रों के अधिगम स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए वार्षिक परीक्षा होनी चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए।
17	गुजरात	'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' की समीक्षा की जानी चाहिए और उसमें उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए।
18	नगालैंड	'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' की समीक्षा आवश्यक है क्योंकि इससे छात्र और शिक्षक दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नीति ने छात्रों को अध्ययन के प्रति आलसी और उदासीन बना दिया है तथा शिक्षकों को भी शिक्षण के प्रति लापरवाह बना दिया है। अनुत्तीर्ण न करने की नीति से कक्षा IX और एचएसएलसी परीक्षा में छात्रों का पास प्रतिशत और उनके द्वारा प्राप्त ग्रेड/अंकों में कमी आई है।
19	पश्चिम बंगाल	'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' को वापस ले लिया जाना चाहिए क्योंकि नीति के कारण अधिगम परिणामों और स्कूल का वातावरण प्रभावित हुआ है। पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए ताकि पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की संख्या में वृद्धि न हो।
20	हरियाणा	'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि स्टेकहोल्डरों के प्रतिबद्धता स्तरों में गिरावट के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है। नीति के कारण छात्रों और शिक्षकों का रवैया लापरवाहीपूर्ण हो गया है। नीति को सफल बनाने के लिए शिक्षक-छात्र अनुपात अनुकूल होना चाहिए। साथ ही अनिवार्य उपस्थिति और सतत तथा व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) का प्रभावी

		कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। परीक्षाओं/जांच से छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना आती है तथा उन्हें अध्ययन की प्रेरणा मिलती है।
21	तेलंगाना	'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' को जारी रखना चाहिए ताकि बच्चे अनुत्तीर्ण होने, उसी कक्षा में बने रहने और कलंक के भय से दूर रह कर अध्ययन कर सकें। सतत और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि बच्चे के अधिगम मानकों का नियमित मूल्यांकन किया जा सके और रटने पर बल न देकर सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दिया जाए।
22	महाराष्ट्र	'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' को कुछ बदलावों के साथ जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि इससे पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दरों में कमी आई है और इससे आत्म-सम्मान पैदा करने में मदद मिली है। स्कूलों को वर्ष में कम-से-कम तीन बार छात्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। राज्यों को कोई भी नीति अपनाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
23	गोवा	सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के हित में 'नो डिटेंशन नीति' जारी रहनी चाहिए। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई), अधिनियम, 2009 के कारगर कार्यान्वयन के लिए उपाय किए जाने चाहिए।
24	जम्मू और कश्मीर*	नियमित आकलन, मूल्यांकन और उपचारी शिक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए सीसीई के कार्यान्वयन की समीक्षा की जानी चाहिए; एक चरणबद्ध ढंग से कक्षा 5 से 8 में डिटेंशन को शुरू किया जाना चाहिए; कक्षा 9 में डिटेंशन को समाप्त किया जाना चाहिए और 5वीं कक्षा से सभी कक्षाओं में बाह्य मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
25	छत्तीसगढ़	एक चरणबद्ध ढंग से कक्षा 8 और इससे अधिक की कक्षा में डिटेंशन किया जाना चाहिए और कक्षा 8 की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के एक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसके साथ ही, कक्षा V में प्राप्त कुल प्वाइंट्स को अगली कक्षा में आगे ले जाना चाहिए।
26	अरुणाचल प्रदेश	'नो डिटेंशन' की समीक्षा की जानी चाहिए और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।
27	दमन और दीव	'नो डिटेंशन' के नकारात्मक प्रभाव देखने में आए हैं।
28	चंडीगढ़	'नो डिटेंशन नीति' को कक्षा IV तक जारी रखा जा सकता है। सीसीई को जारी रखा जा सकता है। कक्षा VII में केंद्रीकृत वार्षिक परीक्षा शुरू की जा सकती है।

शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा टिप्पणियां प्रस्तुत की जानी अभी बाकी है

* आरटीई अधिनियम, 2009 जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता है।

*****